

राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2010

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्यें

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री वित्त विभाग एवं विधि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में कतिपय वस्तुओं को दिनांक 28.7.09 से कर-मुक्त किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-43 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-44 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-45 दिनांक 30 जुलाई , 2009 जिसके द्वारा क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी को जारी करने वाला घोषणा पत्र निर्दिष्ट किया गया है, ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-46 दिनांक 30 जुलाई , 2009 जिसके द्वारा पुराने मोटर वाहन 1000 सी.सी.तक 2000/-रूपये, हल्के मोटर वाहन 1000 सी.सी. से ज्यादा 5000/- रूपये तक एवं भारी वाहन 8000 रूपये प्रति वाहन कर देयता निर्धारित की गई है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2009-47 दिनांक 31 जुलाई , 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2009-48 दिनांक 3.8.2009 जिसके द्वारा वर्णित माल व शर्तों पर मै0 राज वेस्ट पावर लि0 जिला बाड़मेर को प्रवेश कर से छूट दी गई है ; एवं
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.12(68)एफडी/टैक्स/2009-49 दिनांक 20.8.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(58)एफडी/टैक्स/05-पीटी-40 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

II- श्री शांती कुमार धारीवाल विधि मंत्री विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.8(1)विवि-2/95 दिनांक 7 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

III - श्री प्रमोद जैन "भाया" सार्वजनिक निर्माण मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.8(50)सानि/2001/पार्ट-1/477 दिनांक 22 सितम्बर , 2009 जिसके द्वारा शुल्क नियम नोटिफिकेशन, 2009 विरचित किये गये है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.8(50)सानि/2001/पार्ट-1/428 दिनांक 22 सितम्बर , 2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.8(50) सानि /2001/पार्ट-1/312 दिनांक 30.3.2009 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.8(50)सानि/77/429 दिनांक 22 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.10.1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

II - बीना काक, पर्यटन मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगी।

III - श्री हरजीराम बुरडक, कृषि मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1992 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ;
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ; एव
- 3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

IV - श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ;
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009; एवं
- 3- वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट ।

V - श्री प्रमोद जैन "भाया" सार्वजनिक निर्माण मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

VI- श्री रामलाल जाट, खनिज राज्यमंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ग) प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) डॉ० जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान निजी विश्वविद्यालय
विधियां (संशोधन)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-5)

"निजी विश्वविद्यालय विधियों को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

- (I) श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान तकनीकी
विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-6)

"राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

- (1) डॉ० रघु शर्मा(वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

- (2) श्री अलाउद्दीन आजाद (वि.सं.-13), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 फरवरी, 2010